POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2024-26 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2025/अंक 10

मासिक प्रेषण दि. 8 अक्टूबर, सी.एस.ओ., आरएमएस, जयपुर

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 अक्टूबर, 2025 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! साथ ही 'ग्राम गदर' के सभी पाठकों को मेरी एवं 'कट्स' परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं! देश की आर्थिक व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा बजट सत्र में आयकर की दरें घटाना और अब वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) दरों में कटौती करना आमजन और व्यापार जगत के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। यह देश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊर्जा देगा।

कर प्रणाली की जटिलताओं को कम करने से न केवल कारोबार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी सीधा लाभ पहुंचेगा। काफी लंबे समय से महसूस किया जा रहा था कि जटिल और भारी-भरकम कर ढांचा न केवल व्यापार को प्रभावित करता है, बल्कि आर्थिक प्रगति में भी बाधा डालता है।

मद्देनजर सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वह जनता की जरूरतों को प्राथमिकता देती है। अब जीएसटी दरों के सरलीकरण से वस्तुओं और सेवाओं के दाम नियंत्रित रहेंगे। जिससे गरीब, किसान, व्यापारी और मध्यम वर्ग को फायदा मिल सकेगा। इस कदम से न केवल घरेलू बाजार में पारदर्शिता आएगी बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी भारत की स्थिति मजबूत होगी।

गौरतलब है, देश में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था, अब 8 साल बाद इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। जीएसटी के अब दो स्लैब 5% और 18% ही होंगे। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 40% जीएसटी का एक अन्य स्लैब विलासिता की वस्तुओं के लिए होगा।

सरकार को अब खासतौर पर यह सुनिश्चित करना होगा कि इसका फायदा ईमानदारी से उपभोक्ताओं की जेब तक पहुंचे। इससे लोगों की क्रय शक्ति में इजाफा होगा और खपत बढ़ेगी। इसका प्रभाव मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र पर भी पड़ेगा, जिससे उत्पादकता और रोजगार बढ़ेंगे।

संपत्ति खरीदेंगे तो पैन-आधार का सत्यापन होगा जरूरी

देश में संपत्ति खरीद और उसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी है। बेनामी संपत्ति पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही बैनामे से पहले आधार और पैन नंबर का सत्यापन अनिवार्य करने जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने इसके लिए नए पंजीकरण विधेयक-2025 का मसौदा तैयार किया है। इस मसौदे में हर संपत्ति खरीद के लिए स्टाम्प लेते समय ओटीपी आधारित सत्यापन को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे हर छोटी-बड़ी संपत्ति खरीद का ब्योरा आयकर विभाग के पास जाएगा।

नई व्यवस्था से प्रॉपर्टी (जमीन-मकान) खरीदने और बेचने वाले का पूरा रेकॉर्ड आयकर विभाग के पास होगा। मसौदे के अनुसार लोग घर बैठे डिजिटल तरीके से अपने दस्तावेजों का पंजीकरण करा सकेंगे। इससे लोगों को कई स्तरों पर सहूलियत मिल सकेगी। विक्रय अनुबंध (सेल डीड) पावर ऑफ अटॉर्नी न्यायालय की ओर से जारी विक्रय प्रमाण-पत्र आदि का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। नए नियमों के तहत पंजीकरण अधिकारी को स्पष्ट अधिकार और नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन अस्वीकार करने की शक्ति मिलेगी। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद आयकर विभाग का एआई आधारित सिस्टम यह विश्लेषण करेगा कि खरीदने वाला व्यक्ति कौन है? इससे संदिग्ध मामलों को पकड़ने और जल्द निपटाने में मदद मिलेगी।

गोपालक किसान को उपभोक्ता आयोग से मिली बड़ी राहत

गुजरात के सूरत निवासी गोपालक किसान ने बीमा कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया। परिवाद के मुताबिक किसान ने 2021 में अपनी एक गाय का 60 हजार रुपए का बीमा कराया था। बीमा पॉलिसी की शर्त थी कि गाय की मृत्यु होने पर पूरी राशि ब्याज सहित उसे दी जाएगी। बीमा अवधि में गाय की मृत्यु होने पर उसने बीमा कंपनी से क्लेम मांगा। लेकिन बीमा कंपनी ने यह कह कर क्लेम देने से मना कर दिया कि बीमा के समय जो गाय की फोटो दी गई थी और अब जो फोटो दी है उसमें फर्क है।

उपभोक्ता आयोग में मामले की सुनवाई पर किसान ने इसका विरोध करते हुए कहा कि गाय वही है, सिर्फ फोटो में थोड़ा फर्क है। कंपनी का यह तर्क बिना किसी आधार के उसे परेशान करने वाला है। उपभोक्ता आयोग ने पाया कि बीमा कंपनी के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है और न ही कोई ठोस प्रमाण है कि गाय अलग है। कंपनी की ओर से न तो कोई जांच करवाई गई, न ही कोई पुष्टि की है। आयोग ने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि शर्त के अनुसार पूरी बीमा राशि ब्याज सहित किसान को दी जाए।

विकास की नींव होगी मजबूत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण धरातल के विकास की नींव को मजबूत बनाने के लिए देश की 2.68 लाख ग्राम पंचायतों को हाईटेक करने का बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत पूरे देश में ग्राम

पंचायतों को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) की निगरानी में लिया जा रहा है।

ग्राम पंचायतों की बैठकों की मॉनिटरिंग व डाटा एनालिसिस के लिए एआई फीचर्स लागू होंगे। इसके तहत बैठकों के पूरे मिनिट्स एआई से रिकार्ड होकर फाइनल होंगे। ई-ऑफिस की तर्ज पर ही पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम रहेगा। इससे स्थानीय स्तर की गड़बड़ी एवं भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलेगी। पंचायतीराज मंत्रालय ने एनआईसी के सहयोग से इसे तैयार किया है। यह काम चरणबद्ध तरीके से शुरू होगा। ग्राम पंचायतों पर एआई फीचर्स लागू करना आधुनिक डिजिटल इंडिया के लिए बड़ा कदम होगा।

शिक्षकों व छात्रों से अपील

स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाएं। हर घर और दुकान के बाहर 'हर घर स्वदेशी' का बोर्ड लगना चाहिए। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दें। गांवों में स्वदेशी के समर्थन में तख्तियां लेकर मार्च करें। *-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री*

योजनाओं के खर्च पर रहेगी नजर

केंद्र सरकार अब राज्य सरकार को केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए भेजी जाने वाली राशि के खर्च को लेकर मॉनिटरिंग का सिस्टम बना रही है। इसमें केंद्र के अकाउंट हैड की मैपिंग राज्य के स्टेट बजट लिंक से की जाएगी। केंद्र के निर्देशानुसार राज्य के वित्त विभाग ने संबंधित विभागों से इस मैपिंग कार्य को शीघ्र पूरा करने को कहा है। कई विभागों ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

मैपिंग का फायदा यह होगा कि योजना की गति और फंड के समुचित उपयोग को लेकर केंद्र लगातार नजर बनाए रखेगा। इससे राज्यों में केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के बजट का उपयोग संबंधित योजना के अलावा अन्य कार्यों में नहीं किया जा सकेगा। साथ ही योजना के क्रियान्वयन पर केंद्र की नजर रहने से लोगों को समय पर लाभ मिल सकेगा।

प्रदेश में लगाए 10.21 करोड़ पौधे

प्रदेश में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। प्रदेश में अब तक 2.75 लाख जगहों पर 10.21 करोड़ से भी अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। अभियान के दौरान प्रदेशभर में 55 प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं।

हरियालो राजस्थान में 20 लाख हैक्टेयर भूमि पर पौधारोपण किया गया है। अब तक 37 लाख 51 हजार पौधे व्यक्तिगत स्तर पर तथा 9 करोड़ 83 लाख पौधे ब्लॉक स्तर पर लगाए गए हैं। शिक्षा विभाग 3 करोड़ 25 लाख से भी ज्यादा पौधे लगाकर सबसे आगे रहा। ग्रामीण विकास विभाग 2 करोड़ 65 लाख पौधे लगा कर दूसरे एवं वन विभाग 2 करोड़ से भी ज्यादा पौधे लगाकर तीसरे स्थान पर है।

किसान हित में किए बड़े निर्णय

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार राजस्थान में किसानों के कल्याण के लिए निरंतर काम कर रही है। सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋण, पीएम किसान सम्मान निधि में वृद्धि किसानों को दिन में बिजली जैसी सौगातों से किसानों को राहत मिली है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नकली बीज, नकली खाद तथा नकली पेस्टिसाइड के खिलाफ सख्त कानून लाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने व मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बटन दबा कर प्रदेश के 9.70 लाख से अधिक किसानों को रबी सीजन 2024-25 एवं खरीफ सीजन 2024 की बीमा दावा राशि की पहली किश्त डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में हस्तांतरित की।

आदिवासी गांवों का होगा विकास

केंद्र सरकार आदिवासी आउटरीच कार्यक्रम शुरू कर रही है। इसका उद्देश्य 1 लाख आदिवासी गांवों को सशक्त बनाना है। ग्रामीण अपनी पंचवर्षीय योजनाएं स्वयं तैयार करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना है।

इस कार्यक्रम के लिए 20 लाख अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण ब्लॉक और ग्राम स्तर तक होगा। प्रशिक्षित अधिकारी ग्रामीणों को ऐसी योजनाएं बनाने में मदद करेंगे जो ग्रामीणों द्वारा लागू की जाए। इससे प्रशासन को ग्रामीणों की अकांक्षाओं के अनुसार संसाधनों का उपयोग करने में सहायता मिलेगी। प्रत्येक गांव में 'आदि सेवा केंद्र' स्थापित होंगे। जिसमें आदिवासियों को हर तरह की जानकारी मिल सकेगी।

स्ट्रीट वेंडर्स हो रहे आत्मनिर्भर

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना देशभर के स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। इसे देखते हुए योजना को 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही ऋण सीमा को बढ़ाते हुए कुछ बदलाव भी किए गए हैं।

हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है। अब ऋण सीमा को 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपए कर दिया गया है। दूसरे ऋण की सीमा को 20 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपए किया गया है। जो स्ट्रीट वेंडर समय पर दूसरा ऋण चुका देंगे उन्हें रुपे क्रेडिट कार्ड मिलेगा। इससे उन्हें व्यक्तिगत और व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्काल ऋण उपलब्ध हो सकेगा।

प्रदेश की धरती के भीतर खजाना

देश का 'मिनरल हब' कहलाने वाला राजस्थान अब क्रिटिकल मिनरल्स की दौड़ में सबसे आगे निकलने को तैयार है। केंद्र के 'नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स' में प्रदेश को प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाल ही में राजस्थान की अहमियत पर जोर दे चुके हैं।

राजस्थान की धरती अब नए जमाने की तकनीक, ग्रीन एनर्जी, रक्षा और आर्थिक सुरक्षा की रीढ़ साबित हो सकती है। खास बात यह है कि यहां सोने की खदानों के भीतर ही कॉपर, निकल और कोबाल्ट जैसे रणनीतिक खनिजों के बड़े भंडार मौजूद हैं। इससे खनन व उद्योग जगत में निवेश बढ़ेगा, ग्रामीण स्तर पर रोजगार मिलेगा और राज्य की आर्थिक सेहत मजबूत होगी।

गरीबों का गेहूं हड़पा, अब होगी वसूली

राज्य सरकार ने उन लोगों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का फैसला किया है, जो खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र नहीं हैं और गेहूं उठा रहे हैं। सरकार ने ऐसे मामले सामने आने पर संबंधित व्यक्तियों से 30 रुपए 57 पैसे प्रति किलोग्राम गेहूं की दर से वसूली किए जाने का फैसला किया है।

उधर, गिव अप योजना की तारीख भी बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। ताकि, अपात्र लोगों को अपने नाम हटाने का मौका मिल सके। वरना, एक नवंबर के बाद जो भी अपात्र रहेंगे उनसे वसूली शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही अपात्र लोगों की सूची बनाकर उनके नाम सार्वजनिक स्थानों, पंचायत समितियों, नगर पालिकाओं, कलेक्ट्रेट, रसद कार्यालय में चस्पा की जाएगी, उन्हें नोटिस भी दिए जाएंगे।

जीएसटी में ऐतिहासिक बदलाव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) में बदलावों की घोषणा की थी, उन्हें जीएसटी काउंसिल ने मंजूरी दे दी है। काउंसिल की 56वीं बैठक में हुए मंथन के बाद वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी में अब सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% ही होंगे।

वित्तमंत्री ने बताया कि 28% और 12% स्लैब खत्म कर दिए गए हैं और इनके दायरे में जो आइटम थे, उन्हें 5% और 18% में मर्ज कर दिया है। इससे आम उपभोग की वस्तुएं सस्ती होंगी, जिसका सभी को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, इन ऐतिहासिक फैसलों से आम जनता, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं व युवाओं को लाभ होगा। ये सुधार नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे और खासतौर पर छोटे व्यापारियों और कारोबारियों के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे।

कृषि इकाइयों को मिलेगा अनुदान

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के तहत लम्बित पकरणों का निस्तारण करते हुए 298 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश की लगभग 855 कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को पूंजी निवेश, ब्याज, सौर ऊर्जा संयंत्र और विद्युत प्रभार अनुदान के साथ ही भाड़ा अनुदान भी दिया जाएगा। इन लम्बित प्रकरणों के निस्तारण से कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को सक्षम बनाया जा सकेगा। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण उत्पादों को ग्लोबल बनाने और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

अब जीरा बन गया 'जीव की जड़ी'

जीरे को जीव रौ बैरी बताया जाता था, अब वो 'जीव री जड़ी' बन चुका है। यह कर दिखाया है, मारवाड़ के किसानों और जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत ने। इनके प्रयासों से प्रदेश को पहली बार अपनी स्वदेशी जीरे की किस्म 'जोधपुर जीरा-1' मिली है।

इसकी खासियत है कि यह किस्म 22.7% ज्यादा उपज देती है और जीरे की दो बड़ी बीमारियों 'उकठा और कालिया' से लड़ने में सक्षम है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और निर्यात भी मजबूत होगा। केंद्रीय किस्म विमोचन समिति ने नई वैरायटी को जारी करने की मंजूरी दे दी है। साथ ही भारत सरकार ने गजट अधिसूचना जारी कर 'जोधपुर जीरा-1' को पंजीकृत कर दिया है।

कम्पोजिंग एवं लेआउट 'कट्स', जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485